



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड  
कार्यालय  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

का०आ०सं०

८७

/ पटना, दिनांक

०७/०८/१९

संघीय/सं०३०८/संवयक चैवलाक/४१/२०१५ नं०-२

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ के तहत संचरण संगठन में नियमित किये गये सहायक परिचालक घे०ड-II का शैक्षणिक (आई०टी०आई०) योग्यता का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना के पत्रांक-१३३४ दिनांक-१०.१२.२०१८ द्वारा संसूचित सत्यापन प्रतिवेदन के तहत संचरण जोन, पटना के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत निम्नांकित सहायक परिचालक घे०ड-II कर्मियों का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फॉर्म रहने तथा विभाग के साथ की गई जालसाजी के आरोप में (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-६४ दिनांक-१०.०५.२०१० तथा ७८ दिनांक-१८.०५.२०१० के तहत अनुबंध नियोजन की तिथि से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक-१५.०४.२०१५ के तहत नियमितिकरण की तिथि से अर्थात् दिनांक-०१.०४.२०१५ से विभिन्न कार्यालय आदेशों के द्वारा नियोजन रद्द किया गया (निम्न विवरणी के कॉलम सं०-३ में वर्णित), को समादेश याचिका संख्या-१४२१/२०१९ [राजकमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग), कम्पनी लि० एवं अन्य] में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-१६.०५.२०१९ (कपिडका-२८) के अनुशरण में आदेश निर्गमन की तिथि से निरस्त किया जाता है। परन्तु, न्यायादेश (कपिडका-३०) के आलोक में संबंधित कर्मियों का कंपनी की सेवा में पुनर्बहाली मान्य नहीं होगी; -

क्र०सं०	नाम	कार्यालय आदेश
१	२	३
१	श्री शशि भूषण कुमार,	का०आ०सं०-२६ दिनांक-२१.०२.२०१९
२	श्री सुशील कुमार यादव,	का०आ०सं०-२७ दिनांक-२१.०२.२०१९
३	श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह,	का०आ०सं०-२८ दिनांक-२१.०२.२०१९
४	श्री प्रशान्त कुमार,	का०आ०सं०-२९ दिनांक-२१.०२.२०१९
५	श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा	का०आ०सं०-३० दिनांक-२१.०२.२०१९
६	श्री मनोज कुमार,	का०आ०सं०-३१ दिनांक-२१.०२.२०१९
७	श्री अरुण कुमार राय,	का०आ०सं०-३२ दिनांक-२१.०२.२०१९
८	श्री चन्द्रशेखर सिंह,	का०आ०सं०-३३ दिनांक-२१.०२.२०१९
९	श्री बलवन्त सिंह,	का०आ०सं०-३४ दिनांक-२१.०२.२०१९
१०	श्री विकाश कुमार,	का०आ०सं०-३५ दिनांक-२१.०२.२०१९
११	श्री राजकमल,	का०आ०सं०-३६ दिनांक-२१.०२.२०१९
१२	श्री धीरज कुमार सिंह,	का०आ०सं०-३७ दिनांक-२१.०२.२०१९
१३	श्री मनमोहन सिंह यादव,	का०आ०सं०-३८ दिनांक-२१.०२.२०१९
१४	श्री अनिल कुमार	का०आ०सं०-३९ दिनांक-२१.०२.२०१९
१५	श्री गणेश प्रसाद,	का०आ०सं०-४० दिनांक-२१.०२.२०१९
१६	श्री संतोष कुमार सिंह,	का०आ०सं०-४१ दिनांक-२१.०२.२०१९
१७	श्री अमय कुमार,	का०आ०सं०-४२ दिनांक-२१.०२.२०१९
१८	श्री गोरख राय,	का०आ०सं०-४३ दिनांक-२१.०२.२०१९
१९	श्री सोनु कुमार सिंह,	का०आ०सं०-४४ दिनांक-२१.०२.२०१९

(अमृत कुमार चौधरी)  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता  
३१.०२.१९



# बिहार रेटेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जॉन, पटना।

२५७

पत्रांक

1066

नोटिस

/पटना, दिनांक

८/०८/१९

संलग्न/साक्षा/संवाद परिवर्तन/४१/२०१५ मा०-२

प्रेषक,

अमित अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री धीरज कुमार सिंह,

पुत्र— श्री नारेन्द्र सिंह,

ग्राम— जिगना, पो०—गोपुर,

थाना—गडखा, जिला— रामरण, छपरा (बिहार)

विषय—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के संबंध में नोटिस।

प्रत्यंग :-

१. संचरण जॉन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-३७ दिनांक—२१.०२.२०१९

२. बिहार रेटेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्ता विषयक प्रशंसाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार रेटेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रारंभिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्भिरिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार रेटेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं के अधीन सहायक परिवालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिवालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका—(VIII) में निम्न शर्त विवरिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्डिका—(IX) में उल्लेखित अन्य आगलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जॉन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—५३ द्वारा आपका भी सहायक परिवालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (कमांक—७८) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्तियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जॉन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१८७ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१८.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तात के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री रिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो समृद्धि प्रतिवेदनों में पररघर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विशेषज्ञास के फलरवर्त्य इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीधा, पटना से मामले की पुनर्जायी कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-33 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-167 दिनों 15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अधिकारीयों का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्पति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संरक्षित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-37 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके रायिदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार रेटेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिं. पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII में निर्दित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-37 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कम्पनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय निर्णय अनुसार आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोलिखानी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप दिना उपर्युक्त कारण के अनुपरिधत्त रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन

(अरुण कुमार द्वितीय)

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
ना०८१९८५



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१५३

पत्रांक

1065

नोटिस

/ पटना, दिनांक

२७/०४/१९,

फॉर्म/ स०२००/१०६५ क्र. परिचलन/ ४१/२०१५ फ०८-२

प्रेषक,

अभियंता अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक राह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में

श्री बलवन्त रिंग,  
पुत्र— श्री रामेश्वर रिंग,  
ग्राम— बसाढ़ी, पो०— गुरुकुल भेहिया  
जिला—छपरा, राजस्थान (बिहार)

विषय:-

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-३४ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३०५ दिनांक—१५.०४.१९।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रारंभिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश छोटी कपिडका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कपिडका—(IX) में उल्लेखित अन्य अगलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—३१ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की रखरसताकारित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—०१) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कठिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुसूचि किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६५ दिनांक १६.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान दी गयी।

उक्त यूतांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री रिंग का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् उक्त दोनों राष्ट्रपुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर मिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक—1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक—1334 दिनांक—10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या—30 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आईटीआई० प्रभाग पत्र/अंक पत्र “निर्गत नहीं” है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—165 दिनों 15.02.2016 फर्जी है तथा किसी रात पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक—272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या—01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—78 दिनांक—18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या—78 दिनांक—18.05.2010 की कठिका—06 में निम्न शर्त विर्भिदिष्ट था— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक—1334 दिनांक—10.12.2018 द्वारा संरूपित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रभाग—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में साम्यकपूर्तक पूर्ण रागीशोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०—34 दिनांक—21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या—78 दिनांक—18.05.2010 की कठिका—06 के आलोक में आपके रायिदा नियोजन की तिथि के भुतलकी प्रभाव से तथा (ii) विहार स्टेट पावर (होलिडेंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०—395 दिनांक—15.04.2015 की कठिका—(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलकी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विलक्षण दायर CWJC NO-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक—16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०—34 दिनांक—21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रभाग पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवरार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक—28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आईटीआई प्रभाग—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/रात्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय—कक्ष में उपरिथत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप दिना उपर्युक्त कारण के अनुपरिथत रहते हैं तो यह सामझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स—समय उपरिथत होना चाहिए।

विश्वासभाजन

  
 (अरुण कुमार चौधरी)  
 महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
 का०आ०सं०—6



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१३६५

पत्रांक

1064

नोटिस

संघीय/सांगत्य/साधारण परिचालक/४१/२०१५ वडे-२

प्रेषक,

67168119/

अभियोग अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक राह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री विकाश कुमार,  
पुत्र— श्री विजय कुमार सिंह,  
ग्राम— भलुआ शंकरडीह, पो०— भलुआ भिखारी  
थाना— शंकरडीह, जिला—छपरा, सारण (बिहार)

विषय—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०—०१/०९ एवं का०३०००सं०—३५ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिं०, पटना का का०३०००सं०—३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त हिष्यक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रारंभिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठिका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठिका-(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—३४ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपको एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वाचित अमिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—७९) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के रांदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

दूसरी निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कठिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूर्ण हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदलोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१५७ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०—५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक नियंत्रक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, घरुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूर्ण किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पर्यात् उक्ता दोनो सम्मुचित प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक—1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौषिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक—1334 दिनांक—10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या—31 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र “निर्गत नहीं” है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—157 दिन 16.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक—272 दिन 21.03.2016 भी फर्जी है।


विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जौन, पटना के नियोजन सूचना संख्या—01/09 के अन्तर्गत संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—68 दिनांक—10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अन्यर्थियों का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या—68 दिनांक—10.05.2010 की कंडिका—06 में निम्न शर्त विर्तिदिष्ट था— “If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken”.

सम्पति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम रासाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक—1334 दिनांक—10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण रागीशोपरान्त संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०—35 दिनांक—21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या—68 दिनांक—10.05.2010 की कंडिका—06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार रेट पावर (होलिडग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०सं०—395 दिनांक—15.04.2015 की कंडिका—(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक—16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०—35 दिनांक—21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इतका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक—28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई०टी०आई प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना पैंच पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय—कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जौन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

  
 (अरुण कुमार चौधरी)  
 महाप्रबंधक—स४—मुख्य अभियंता  
 ३०८०१७



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१३६३

पत्रांक

1063

नोटिस

/पटना, दिनांक

०७/०८/१९

संजोप/सांकेति/सहायक परिचालक/४१/२०१५ पट-२

प्रेषक,

अभिनव अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निर्दिष्ट डाक

सेवा में,

श्री सोनु कुमार सिंह,  
पुत्र— श्री भगीरथ सिंह  
ग्राम— बदुराही, पो०—सोनपुर  
थाना—सोनपुर, जिला—छपरा, सारण (बिहार)

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-४४ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९६ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासादिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठिका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठिका—(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—१५७ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निदेशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अमलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वाहताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—९२) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कठिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६३ दिनांक—१५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

362

उक्त वृत्तात के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, घटुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—697 दि०—24.07.2018 द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक—1096 दि० 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जायि कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक—1334 दिनांक—10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या—39 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक—163 दि०—15.02.2016 फर्जी है, तथा किरी रस्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक—272 दि०—21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या—01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—68 दिनांक—10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यर्थियों का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या—68 दिनांक—10.05.2010 की कंडिका—06 में निम्न शर्त विर्णिदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक—1334 दिनांक—10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सन्ध्यक्षर्तुक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०स०—44 दिनांक—21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या—68 दिनांक—10.05.2010 की कंडिका—06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) छिह्न रस्टेट पावर (डोलिङ्ग) कमानी लिं०, पटना का का०आ०स०—395 दिनांक—15.04.2015 की कंडिका—VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक—16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०स०—44 दिनांक—21.02.2019 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को ब्रूटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक—26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई०टी०आई प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना यैथ पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय—कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप दिना उपर्युक्त कारण के अनुपरिष्ठत रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स—समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार वैष्णव)

महाप्रबृधक—सह—मुख्य अधियंता



१९८

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड  
कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

पत्रांक

1062

नोटिस

/पटना, दिनांक

07/08/17

संजोप / राजसभा / राज्यपाल विषयालय / 41/2015 पार्ट-2

प्रेषक,

अशोक अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में

श्री शशि भूषण कुमार,  
पुत्र— श्री बच्चा सिंह  
ग्राम— ककरहट, पोरो—ककरहट  
जिला—सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-२६ दिनांक—21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिंग, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—15.04.19।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगादीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिंग के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठिका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठिका—(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—१५० द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपको एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा दाँड़ित अमलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (कमांक—५३) द्वारा सूचित किया गया कि आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में अन्य कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि डेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। इसके पश्चात परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१५६ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्थीरता प्रदान की गयी।

उक्त गृहांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—८९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा

३८०

सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) III प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-38 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-156 दिनांक-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनांक- 21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्भासित था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में रामयक्षपूर्वक पूर्ण सामीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-26 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रमाण से तथा (ii) विहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं0, पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कंपिङ्का-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रमाण से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-26 दिनांक-21.02.2019 को निरस्त किया गया है। परन्तु, न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-30.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताकारी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं रामय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अल्प कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१७१

पत्रांक

1061

नोटिस

/पटना, दिनांक

07/08/19/

संजोप/सात्त०/सहायक परिचालक/४१/२०१५ पर्ट-२

प्रेषक,

अभिन्न अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में

श्री प्रशान्त कुमार,

पुत्र— श्री सुरेश प्रसाद

ग्राम— महेन्द्रपुर, पो०—हाथीदह

थाना— हाथीदह — जिला—पटना, (बिहार)।

विषय:-

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०—०१/०९ एवं का०आ०सं०—२९ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०—३९६ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट हैः— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”.

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्डिका—(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—१०३ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निदेशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा यांछित अमलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहरताकारित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—८१) द्वारा आपके आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि इनका प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूर्ण हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—२१५ दिनांक ०२.०३.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०—५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो बर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, घटुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूर्ण किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

378

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्बुद्धि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के पलरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-22 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-215 दिनों 02.03.2016 फर्जी है तथा किसी रूपरेखा पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।


विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यक्षियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्भिदिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना को का0आ0सं0-29 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार रेट स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिंग, पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC NO-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-29 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-29.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना पैंथ पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपरिथित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपरिथित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपरिथित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन

  
Arul Kumbhar Chaudhary  
महाप्रबंधक-साह-मुख्य अभियंता  
नवमी



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक

1060

/पटना, दिनांक

07/08/19,

संघीय/साधारण/सहायक परिचालक/४१/२०१५ पाई-२

प्रेषक,

अभिभावक—  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता,

निर्बंधित डाक

सेवा में,

श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह,  
पुत्र— श्री विरबहादुर सिंह  
ग्राम— अलेख टोला, पो०—गरीबा टोला  
थाना— रियिलगंज— जिला—सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-२८ दिनांक—२१.०२.२०१९
2. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासांगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका-(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—१४९ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, नियंत्रक आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, नियेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—५४) द्वारा आपके आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि इनका प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि नियेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिखा लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, नियेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, नियेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६१ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की रवीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक नियेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा

376

सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् उक्त दोनों सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में पररपर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाचि कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-37 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-161 दिन-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिन-21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्भिदिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आशेष के मामले में सम्यक्पूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-28 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिए, पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-28 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्यायादेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको रूचित किया जाता है कि दिनांक-30.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन

(अक्षय कुमार चौधरी)  
महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता



७५

**बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड**  
**कार्यालय**  
**महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता**  
**संचरण जोन, पटना।**

पत्रांक 1069 / नोटिस पटना, दिनांक 07/08/19,  
 संकेत/सांख्य/सहायक चरिचालक/41/2016 पर्ट-2  
 प्रेषक,

अभियंता अरुण कुमार धौधरी  
 महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री सुशील कुमार यादव,  
 पुत्र— श्री सुरेन्द्र यादव  
 ग्राम— डुमरी, पो-डुमरी अड्डा  
 थाना— डोरीगंज जिला—सारण, छपरा (बिहार)।

**विषय:-** आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में।

**प्रसंग :-** 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-२७ दिनांक—21.02.2019  
 2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट हैं— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका—(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—164 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—2069 दिनांक—16.09.2015 (क्रमांक—67) द्वारा सूचित किया गया कि आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—2069 दिनांक—16.09.2015 में अन्य कातिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—1311 दिनांक—22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इसके पश्चात परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—159 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक—272 दिनांक—21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—697 दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा

३७४

सम्पुष्ट किया गया कि श्री यादव का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है (निर्गत नहीं) इसका गया है।

तत्पश्चात् उक्त दोनों सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जागरण कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-40 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-159 दिनांक-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक- 272 दिनांक- 21.03.2016 भी फर्जी है।


विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अधिकारीयों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्भिदिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्पत्ति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त संश्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपसान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-27 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलकी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कंपिङ्का-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलकी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विलद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक का०आ०सं०-27 दिनांक-21.02.2019 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-30.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई०टी०आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताकारी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

  
(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
५८८५



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जौन, पटना।

१३२३

पत्रांक

1058

नोटिस

/पटना, दिनांक

०७/०८/१९,

शंखेप/८००६०/सहायक परिचालक/४१/२०१५ फार्ट-२

प्रेषक,

अभिभ० अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निर्देशित डाक

सेवा में,

श्री मनमोहन सिंह यादव,

पुत्र— श्री रामायण सिंह,

ग्राम— दुलहपुर, पो०—दुलहपुर,

थाना—सिमरी, जिला—बक्सर, (बिहार)

विषय:-

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जौन, पटना का नियोजन सूचना रां०—०१/०९ एवं का०आ०स०—३८ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि�०, पटना का का०आ०स०—३९६ दिनांक—१५.०४.१९

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासागिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें पिर्मिर्टिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि�० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका—(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—७७ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निदेशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वार्षिक अमलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के लिए मैं परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—२५) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कठिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जौन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश रां०—५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्थीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तात के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री यादव का (आपका) III प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

३७२

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्मुचिट प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्तर्णने विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदीगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-51 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आईटीआई प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-272 दिन 21.03.2016 फर्जी है। तथा किसी रूपर पर जालसाजी की जा रही है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विविदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संरूपित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्ति पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-38 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संदिवा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार रेट पावर (होलिडेंग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०-38 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी सुनवाई नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-27.08.2014 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आईटीआई प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं उपना वैध पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय—कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
का०सं०-८



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जौन, पटना।

१७१

पत्रांक 1057 / पटना, दिनांक २१/०८/१९,

संजोन/सूची/वित्तीक वरिचालक/४१/२०१५ पट-२

प्रेषक,

अमित अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक राह मुख्य अभियंता,

नियंत्रित डाक सेवा में,

श्री मनोज कुमार,  
पुत्र— श्री चंद्रशेखर प्रसाद  
ग्राम— पिरगंज, पो०—रितालपुर  
थाना— दिघवारा, जिला—सारण, छपरा (बिहार)।

विषय— आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :- 1. संकरण जौन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१ / ०९ एवं का०आ०सं०-३१ दिनांक—२१.०२.२०१९  
2. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिं०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका-(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक रागप्रित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक-७८ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, नियोजनानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों राहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताकृति प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—२२) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

दूसरी नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में करिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जौन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१७२ दिनांक १६.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्थीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक नियोजक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भान, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बैली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्मुचित प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौषिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन रामर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-34 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-172 दिन-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी रस्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिन-21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अम्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-31 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) विहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिलो, पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC NO-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-31 दिनांक-21.02.2019 को को निररत करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जारा है कि दिनांक-29.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जबाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन,

(अरुण कुमार कंधरी)

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
५५५१५



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जौन, पटना।

१०७

पत्रांक

1056

नोटिस

/पटना, दिनांक

०७/०८/१९,

संबोध/ सामग्री/ सहायक परिचालक/ ४१/२०१५ पार्ट-२

प्रेषक,

अमित अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

सेवा में,

श्री मृत्युजय कुमार मिश्रा,

पुत्र— श्री सुनील मिश्रा

ग्राम— माला, पो०—गुरुकुल मेरहियाँ

थाना— मुफकसिल, जिला—सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जौन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१ /०९ एवं का०आ०सं०-३० दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासांगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रमाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कठिनका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कठिनका—(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—८७ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (कमांक—६४) द्वारा आपके आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि इनका प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

धूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कठिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जौन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६२ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके अधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०९.२०१६ द्वारा येतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा

368

सम्पूर्ण किया गया कि श्री मिश्रा का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है (निर्गत नहीं) किया गया है।

तत्पश्चात् उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दि० 03.11.2018 द्वारा मुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-35 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-162 दि०-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी रूपरूप पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दि०-21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त घोषित था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संरूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सन्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-30 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) विहार स्टेट पावर (होलिङ्ग) कम्पनी लिं०, पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कंपिडका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०-30 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को चुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको रुचित किया जाता है कि दिनांक-29.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताकारी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

  
(अरुण कुमार श्रीवर्षी)

महाप्रबधक—सह—मुख्य अभियंता  
महाप्रबधक



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१५४

पत्रांक

1055

नोटिस

/पटना, दिनांक

०७/०६/१९,

संजोन/सांगठ/सहायक परिचालक/४१/२०१५ नं.-२

प्रेषक,

अग्नि० अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर रिंह,  
पुत्र— श्री विजय रिंह,  
ग्राम— अलेख टोला, सिलायदियरा पो०— जयप्रकाश नगर  
जिला—बलिया, (उत्तर प्रदेश)।

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-३३ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९६ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासांगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रमाद से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्ता आदेश की कण्ठिका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठिका-(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक-४३ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका संत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—५१) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कल्पित कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६६ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

३६

तत्पश्चात उक्त दोनों रामपुष्टि प्रतिवेदनों में पररपर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के कलश्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-32 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-166 दिनों 15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।

ठिकित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यार्थियों का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कांडिका-06 में निम्न शर्त विर्तिदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्तीक पूर्ण रागीकोपरान्त संचरण जोन, पटना का का0आ0सं0-33 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कांडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) विहार स्टेट मार्क (होलिडंग) कम्पनी लिं. पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कांडिका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-33 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को नुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवरार प्रतान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना ऐध पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय—कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप दिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना चाहिए।

विश्वरामाजन

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबद्धक—सह—मुख्य अभियंता  
क्रमांक ८८८



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड  
कार्यालय  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

१०५४

पत्रांक १०५४ / पटना, दिनांक ०७/०८/१९,  
संबोध/सामाजिक सहायक परिचालक/४१/२०१५ पाई-२

प्रेषक,

अमित अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित  
डाक

सेवा में,

श्री अमय कुमार,  
पुत्र— श्री राधा साह  
ग्राम— धरमपुरा, पो०—रसलपुरा  
थाना—डोरीगंज, जिला—छपरा।

विषय:- आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

- संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०स०-४२ दिनांक—२१.०२.२०१९
- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं०, पटना का का०आ०स०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कपिडका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:—“If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”.

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कपिडका—(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—०४ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वाइत अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहरताश्रित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निर्देशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—३६) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निर्देशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निर्देशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निर्देशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६४ दिनांक—१५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उल्लंघन विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-41 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आईटीआई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-164 दिनों 15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी रपट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यार्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कठिका-06 में निम्न शर्त विर्तिदिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में राम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षाप्रणाली संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-42 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कठिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कठिका-VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०-42 दिनांक-21.02.2019 को को निररत करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जबाब, मूल आईटीआई० प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपरिथित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपरिथित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक-राह-मुख्य अभियंता  
माला ५



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड  
कार्यालय  
गहाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
संचरण जौन, पटना।

1362

पत्रांक 1053 /पटना, दिनांक 07/08/19 /  
संक्षेप/सांख्य/सहायक परिवालक/41/2016 पाई-2

प्रेषक,

अभिरुद्रुष्ण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,  
सेवा में,

निबंधित डाक

श्री संतोष कुमार सिंह,  
पुत्र— श्री राजेन्द्र सिंह  
ग्राम— जिगना, पो-गड़खा  
थाना—गड़खा, जिला—छपरा, सारण (बिहार)

विषय— आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :— 1. संचरण जौन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-४१ दिनांक—21.02.2019  
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रारंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिवालक घेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिवालक घेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका-(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखों को नहाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना के कार्यालय में दिनांक—30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—139 द्वारा आपका भी सहायक परिवालक घेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वाहित अभलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति रामर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—2069 दिनांक—16.09.2015 (क्रमांक—53) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—2069 दिनांक—16.09.2015 में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जौन, पटना के पत्रांक—1311 दिनांक—22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—169 दिनांक—15.02.2016 एवं पत्रांक—272 दिनांक—21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तान्त के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—697 दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा

सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) III प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् उक्त दोनों सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दि० 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-36 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-169 दि०-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दि०-21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जौन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जौन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियों का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कांडिका-06 में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संरूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के नामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जौन, पटना के का०आ०सं०-41 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कांडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कांडिका-VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०-41 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाब, मूल आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सबध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जौन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
मालाल



१५१

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड  
कार्यालय  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

पत्रांक

1052

नोटिस

/पटना, दिनांक

२१/०८/१९

संलग्न/ सं०३३०/ सालाक परिचालक/ ४१/२०१६-पार्ट-२

प्रेषक,

अभिभावक अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में

श्री गोरख राय,

पुत्र— श्री धर्मनाथ सिंह

ग्राम— मंथितवा गोपालपुर पो०—मसातीयक

थाना—दरियापुर, जिला—छपरा, सारण (बिहार)

विषय—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०स०-४३ दिनांक—२१.०२.२०१९

२. बिहार स्टेट पावर (हॉलिडंग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०स०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (हॉलिडंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं. के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कठिड़का-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कठिड़का-(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—६१ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वांछित अभलेखों राहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्थहरताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—६६) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलिपित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१५८ दिनांक—१५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दिने—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तात के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दिने—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री राय का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्मुचित प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-43 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-158 दिन-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिन-21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियों का सहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्तिदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण—पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्बन्धित पूर्ण सामीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-43 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के मुतलकी प्रभाव से तथा (ii) बिहार रेटेट पावर (हॉलिंग) कम्पनी लिं. पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के मुतलकी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-43 दिनांक-21.02.2019 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जबाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना दैध पहचान—पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय—कक्ष में उपरिथित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्वारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपरिथित रहते हैं तो यह सामझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपरिथित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासनाजन

(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
३१.०८.१९



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१५७

पत्रांक

1051

नोटिस

/पटना, दिनांक

७/०४/१७,

श्लोभ/सातांश/सहायक परिचालक/४१/२०१५ घट-२

प्रेषक,

अग्नि० अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक राह गुरुज्य अभियंता।

निबंधित डाक

सेवा में

श्री अरुण कुमार राय,  
पुत्र— श्री छठू राय  
ग्राम— महमदा मंगल टोला, पो०— महमदा  
थाना— गरखा, जिला—रारण, छपरा (बिहार)।

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

- संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०—०१/०९ एवं का०आ०सं०—३२ दिनांक—२१.०२.२०१९
- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं०, पटना का का०आ०सं०—३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगातीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासांगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका—(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका—(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक रामर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—२६ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा बांधित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—५६) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६८ दिनांक १५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०—५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्थीकृति प्रदान की गयी।

उक्त छृतोंत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भाग, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा

358

सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्त्वश्वात उक्त दोनों साम्पुष्ट प्रतिवेदनों में परखपर मिन्नता पाये जाने से उत्थन विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिन 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई दीधा, पटना से मामले की पुनर्जाच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-29 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आईटीआई प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-168 दिन-15.02.2016 फर्जी है तथा किसी रातर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिन-21.03.2016 भी फर्जी है।


विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अधिकारियों का राहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीधा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संरूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में समाकार्पूर्क पूर्ण रामीशोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-32 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपको रांदिदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिंग, पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC NO-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०-32 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाब, गूल आईटीआई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/रात्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपरिधत रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन

  
(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
अधीक्षी



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१५३

पत्रांक

१०६७

नोटिस

/पटना, दिनांक

२१/०४/२०१९,

संलग्न/सांख्य/परिचालक/४१/२०१५ नं०-२

प्रेषक,

अभियंता अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री राजकमल,  
पुत्र—जगदेव हजरा,  
ग्राम—बान्देय, पी०—घरगुप्त बान्देय, भाषा—पटोरी  
जिला—समरस्तीपुर (बिहार)

विषय—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-३६ दिनांक-२१.०२.२०१९  
२. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक-१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रारंभिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:- “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका-(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक-३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक-१२३ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा बाहित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ (क्रमांक-५०) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र/अंक पत्र में मार्कस बढ़ाकर दिया गया है, अर्थात् मार्कस में गिन्नता है।

धूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक-२०६९ दिनांक-१६.०९.२०१५ में कतिपय कर्मियों के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक-१३११ दिनांक-२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक-२०५ दिनांक २७.०२.२०१६ एवं पत्रांक-२७२ दिनांक-२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०९.२०१६ द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक-६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा

२६

सम्पुष्ट किया गया कि श्री राजकमल का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "मार्क्स बड़ा कर्तव्य देया गया है अर्थात् मार्क्स में भिन्नता है"।

तत्पश्चात् उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दि० 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-17 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "मार्क्स बड़ा कर्तव्य देया गया है अर्थात् मार्क्स में भिन्नता है" तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से गिर्गत पत्रांक-205 दि०-27.02.2016 फर्जी हैं एवं किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में गिर्गत पत्रांक-272 दि०-21.03.2016 भी फर्जी हैं।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अधिकारीयों का साहायक परिवालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट था- "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्तक पूर्ण राजीकोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०सं०-36 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) साहायक परिवालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कंडिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रमाव से तथा (ii) बिहार रेटेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं०, पटना का का०आ०सं०-395 दिनांक-15.04.2015 की कंडिका-(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रमाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC NO-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०सं०-36 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्वहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवरार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-28.08.2019 को 1100 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई०टी०आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपरिथत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

  
(अरुण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
अली०



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

१५५

पत्रांक

1049

नोटिस

/पटना, दिनांक

०७।०६।१९,

संजोप / सामग्री / सहायक परिचालक / ४१/२०१५ पार्ट-२

प्रेषक,

अभियंता अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निर्दिष्ट डाक

सेवा में

श्री अनिल कुमार,

पुत्र— श्री राधा साह

ग्राम— धरमपुरा, पो०—रसलपुरा

थाना—डोरीगंज, जिला—छपरा, राजन (बिहार)

विषयः—

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

१. राजवरण जोन, पटना का नियोजन राखना सं०-०१/०९ एवं का०आ०सं०-३९ दिनांक—२१.०२.२०१९
२. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—१५.०४.१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०-०१.०४.२०१५ के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कठिनका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कठिनका-(IX) में उल्लेखित अन्य अमलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—१९ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वाइत अमलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की रवहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—०५) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कठिपय कर्मियों के संबंध में लिपा लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१६० दिनांक—१५.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-५९ दि०-१६.०९.२०१६ द्वारा वैतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०-२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्ता दोनो राम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औदौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाग्रत कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-45 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-160 दिनों 15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जॉन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जॉन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अध्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कठिका-06 में निम्न शर्त विर्तिदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, अम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्तक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जॉन, पटना के का0आ0सं0-39 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 की कठिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) विहार स्टेट पाकर (होलिडेंग) कम्पनी लिंग, पटना का का0आ0सं0-395 दिनांक-15.04.2015 की कठिका-VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आदेश के विलहू दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का0आ0सं0-39 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को ब्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवरार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैष्ण पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जॉन, पटना में स-समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार धोनी)  
महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता  
मार्च 2019



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

353

कार्यालय

महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

पत्रांक

1048

नोटिस

/पटना, दिनांक

67/०६/१५

संलग्न/सहजाता/सहायक परिचालक/४१/२०१५-प०६-२

प्रेषक,

अभिभावक अरुण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निर्वाचित डाक

सेवा में

श्री गणेश प्रसाद,

पुत्र—श्री रविन्द्र राय

ग्राम—विरस, पो०—सराय

थाना—सराय, हाजीपुर जिला—दैशाली (बिहार)

विषय:-

आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :-

1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०-०१ /०९ एवं का०आ०सं०-४० दिनांक—21.02.2019

2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. पटना का का०आ०सं०-३९५ दिनांक—15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि०—०१.०४.२०१५ के प्रमाण से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिं. के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारों को सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्ठका-(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है— “If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.”

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारों को कण्ठका-(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखों को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक—३०.०४.२०१५ तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक—५९ द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड-II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारों द्वारा वाहित अभिलेखों सहित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताकृति प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ (क्रमांक—२४) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण—पत्र “निर्गत नहीं” है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक—२०६९ दिनांक—१६.०९.२०१५ में कतिपय कण्ठों के संबंध में लिपा लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पूष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीधा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक—१३११ दिनांक—२२.०९.२०१५ द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक—१७१ दिनांक—१६.०२.२०१६ एवं पत्रांक—२७२ दिनांक—२१.०३.२०१६ द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०—५९ दि०—१६.०९.२०१६ द्वारा येतनादि भुगतान की रवैकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक—६९७ दि०—२४.०७.२०१८ द्वारा सम्पूष्ट किया गया कि श्री प्रसाद का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

३९२

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर गिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभ्यास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-1096 दिनों 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक-व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाहि कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के क्रम संख्या-56 द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक-171 दिनों 16.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक-272 दिनों 21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना संख्या-01/09 के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियों का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कठिका-06 में निम्न शर्त विर्भिदिष्ट था— "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम सासाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक-1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्तक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के का०आ०स०-40 दिनांक-21.02.2019 द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 की कठिका-06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रमाण से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिंग, पटना का का०आ०स०-395 दिनांक-15.04.2015 की कठिका-VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रमाण से आपका नियोजन रद्द कर दिया गया।

नियोजन रद्द किये जाने का आवेदन के विरुद्ध दायर CWJC NO-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक-16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में का०आ०स०-40 दिनांक-21.02.2019 को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवश्य प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जवाब, मूल आई०टी०आई प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में उपरिथित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप विना उपर्युक्त कारण के अनुपरिथित रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स-समय उपरिथित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अक्षर कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता

काली

(काली)



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक

/पटना, दिनांक

संजोप/साठशा०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-2

प्रेषक,

अभिः० अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री मनमोहन सिंह यादव,  
पुत्र— श्री रामायण सिंह,  
ग्राम— दुलहपुर, पो०—दुलहपुर,  
थाना—सिमरी, जिला—बक्सर, (बिहार)

विषयः— आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :— संचरण जोन, पटना का नोटिस पत्रांक—1058 दिनांक—07.08.2019  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके शैक्षणिक प्रमाण—पत्र का फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में इस कार्यालय के प्रासंगिक नोटिस पत्र द्वारा आपको अपना लिखित जबाब समर्पित करने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक—27.08.2019 के स्थान पर टंकण भूलवश दिनांक—27.08.2014 अंकित हो गया है।

अतएव सूचित करना है कि प्रासंगिक नोटिस पत्र में लिखित जबाब/पक्ष प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक—27.08.2014 के स्थान पर दिनांक—27.08.2019 पढ़ा जाय तथा दिनांक—27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जबाब तथा सभी वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

४०—

(अरुण कुमार चौधरी)  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..... 1090 ..... पटना, दिनांक..... 13/8/19 /

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना को इस कार्यालय के ज्ञापांक—1047 दिनांक—07.08.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि ज्ञापांक—1047 दिनांक—07.08.2019 के द्वारा प्रेषित नोटिस पत्र (19 पत्र) के साथ ही उपरोक्त संशोधित नोटिस पत्र को भी कंपनी के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई०टी० विभाग को निर्देश देने की कृपा की जाय।  
अनु०— तथैव।

४०—  
(अरुण कुमार चौधरी)  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

2762/DCM(P)  
20/08/19

U.S.I./SOP  
1047/19  
3935/PTM (HJM/PtM)  
19.08.19  
1234/D.S.I  
90/08/19



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड  
कार्यालय  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
संचरण जोन, पटना।

पत्रांक— 1058 / नोटिस / पटना, दिनांक— 13/8/19  
संजोप/साठशा०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-२  
प्रेषक,

अमितो अरुण कुमार चौधरी  
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री मनमोहन सिंह यादव,  
पुत्र— श्री रामायण सिंह,  
ग्राम— दुलहपुर, पो०—दुलहपुर,  
थाना—सिमरी, जिला—बक्सर, (बिहार)

विषय:- आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण—पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।  
प्रसंग :- संचरण जोन, पटना का नोटिस पत्रांक—1058 दिनांक—07.08.2019  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके शैक्षणिक प्रमाण—पत्र का फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में इस कार्यालय के प्रासंगिक नोटिस पत्र द्वारा आपको अपना लिखित जबाब समर्पित करने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक—27.08.2019 के स्थान पर टंकण भूलवश दिनांक—27.08.2014 अंकित हो गया है।

अतएव सूचित करना है कि प्रासंगिक नोटिस पत्र में लिखित जबाब/पक्ष प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक—27.08.2014 के स्थान पर दिनांक—27.08.2019 पढ़ा जाय तथा दिनांक—27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में अपना लिखित जबाब तथा सभी वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

*(Signature)*  
13/8/19

(अरुण कुमार चौधरी)  
महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता  
1058/19